प्र०-1 द्रष्क्रति की परिभाषा दीजिए तथा अपराध एवं संविदा भंग से इसका अंतर कीजिए!

अपकृत्य की परिभाषा

अपकृत्य की कुछ परिभाषाओं का यहाँ उल्लेख किया जाता है-

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 (एम)

'अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है'।

सामण्ड

"अपकृत्य एक सिविल अपकार है" जिसके लिये उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यासभंग अथवा अन्य किसी प्रकार का साम्यिक दायित्व नहीं है।

विनफील्ड

'अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यत: जन वर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इन परिभाषाओं से भिन्न-भित्र शब्दों का प्रयोग किया गया है किन्तु सबका सार एक ही है।

परिसीमा अधिनियम की परिभाषा

परिसीमा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार

(क) अपकृत्य एक सिविल अपकार है, न कि आपराधिक अपकार।

(ख) यह केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग से भिन्न अपकार है।

कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जबकि एक ही तथ्य संविदा भंग और अपकृत्य दोनों में प्रतिफलित होता हो। उदाहरण के लिये, यदि चालक की उपेक्षा से कोई रेल यात्री क्षत होता है, तो रेल प्राधिकारी सुरक्षित परिवहन प्रदान करने हेतु संविदा भंग के लिये उत्तरदायी है, उनका उत्तरदायित्व उपेक्षा के अपकृत्य के अन्तर्गत भी आता है, और वह रेल यात्री के प्रति क्षति मूल्य के भुगतान के लिये भी उत्तरदायी है। इसी प्रकार, यदि मैं अपना घोड़ा एक सप्ताह के लिये अपने पड़ोसी के पास छोड़कर बाहर चला जाता हूँ और मेरा पड़ोसी घोड़े को भूख से मरने देता है, तो वह संविदा भंग भी है, और एक उपनिहिती (Bailee) के रूप में पड़ोसी द्वारा तत्सम्बन्धी मामले में सम्यक सतर्कता न बरतने की विफलता भी है।36 अतः उसने उपनिहिती के रूप में उपेक्षा का अपकृत्य भी किया है। परन्तु ऐसे मामलों में वादी दो बार क्षतिमूल्य का दावा नहीं कर सकता। उसे यह चुनना

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

पड़ेगा कि वह या तो संविदा भंग के लिये वाद संस्थित करे अथवा अपकृत्य घटित होने के लिये।

सामण्ड की परिभाषा

सामण्ड की परिभाषा के अनुरए संविदा भंग तथा न्यास भंग के अतिरिक्त साम्यिक दायित्व की स्थिति भी हो सकती है जिसका उपचार प्रतिकर (नुकसानी) की कार्यवाही हो। आभास-प्रसंविदा की विधि ऐसे. दायित्वों को अपने परिधि में सम्मिलित करती है। इस विषय पर भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 5 में चर्चा की गई है। उदाहरण के लिये, एक व्यापारी का कुछ भाल 'ख' के गृह पर भूल छूट जाता है। 'ख' से उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है। वह उसके बदले में व्यापारी को भुगतान करने के लिये आबद्ध है।

विनफील्ड की परिभाषा

विनफील्ड ने अपनी परिभाषा में हालांकि अपकृत्य को उपर्युक्त दो परिभाषाओं से भिन्न ढंग से तथा भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त किया है, किन्तु उसका सार वही है।

विनफील्ड की परिभाषा के अनुसार-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(1) अपकृत्यात्मक दायित्व **कर्तव्य भंग** से उत्पन्न होता है,

(2) जिसमें **अनिर्धारित नुकसानी** का उपचार प्राप्त किया जा सकता है,

(3) इसमें मूलतः **विधि द्वारा नियत कर्तव्य** के भंगीकरण से दायित्व उत्पन्न होता है, तथा वह कर्तव्य, जिसके भंगीकरण से दायित्व उत्पन्न होता है, सामान्यतः **जन वर्ग के प्रति** होता है।

इस परिभाषा के अनुसार अपकृत्यात्मक दायित्व कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जिससे स्पष्ट है कि अपकृत्य एक उपकार है। क्योंकि इसमें कर्तव्य भंग से अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है, यह एक 'सिविल अपकार' है। नुकसानी का उपचार केवल सिविल अपकार में ही उपलब्ध होता है। यदि अपकार आपराधिक हो तो अपकारी को दण्ड दिया जाता है।

इस परिभाषा में आगे यह बताया गया है कि अपकृत्य में मूलत: विधि द्वारा नियत कर्तव्य के भंगीकरण से दायित्व उत्पन्न होता है इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संविदा भंग तथा न्यास भंग से भिन्न अपकार है। संविदा भंग तथा न्यास-भंग भी कर्तव्य भंग का परिणाम है किन्तु उनमें कर्तव्य विधि द्वारा नियत न होकर पक्षकारों द्वारा अपने ऊपर लिया जाता है।

इस परिभाषा में यह भी बताया गया है कि जिस कर्तव्य के भंगीकरण से अपकृत्यात्मक दायित्व उत्पन्न होता है वह सामान्यत: जन-वर्ग के प्रति होता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

इसे विपरीत संविदा में पक्षकारों का कर्तव्य केवल एक दूसरे के प्रति ही होता है। इसी प्रकार न्यास में भी न्यासी (ट्रस्टी) का कर्तव्य केवल हितग्राही के प्रति होता है। किन्तु अपकृत्य विधि द्वारा नियत कर्तव्य किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं होते, वरन् वह पूरे विश्व के प्रति होते हैं।

अपकृत्य एवं संविदा भंग में अन्तर (Difference between Tort and Breach of Contract)

(1) संविदा भंग तथा अपकृत्य दोनों ही कर्तव्य भंग का परिणाम हैं। संविदा भंग ऐसे कर्तव्य भग का परिणाम है जिसे पक्षकारों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ले रखा है जबकि अपकृत्य ऐसे कर्तव्य भंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है पक्षकारों द्वारा अपने ऊपर नहीं लिये जाते, वरन विधि द्वारा नियत होते हैं। उदाहरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कार खरीदने की संविदा करता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह कार खरीदे। ऐसा इसलिये है कि उसने कार खरीदने का कर्तव्य स्वयं अपने ऊपर लिया है। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि न करे यह कर्तव्य इसलिये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छया ऐसा कोई कर्तव्य अपने ऊपर ले रखा है. वरन् वह कर्तव्य इसलिये है क्योंकि विधि द्वारा यह कर्तव्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर आरोपित है ऐसे कर्तव्य भंग का परिणाम अपकृत्य है।

(2) संविदा में दो पक्षकारों का कर्तव्य केवल एक दूसरे के प्रति होता है। अपकृत्य विधि के अन्तर्गत विधि द्वारा नियत कर्तव्य किसी विशेष व्यक्ति

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अथवा व्यक्तियों के प्रति नहीं होते, वरन् वे समूचे विश्व के प्रति होते हैं। जैसे, यदि 'क' तथा 'ख' के बीच कोई संविदा होती है. तो 'क' का कर्तव्य केवल 'ख' के प्रति होता. इसी प्रकार 'ख' का कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं, वरन् केवल 'क' के प्रति होगा यही कारण है कि संविदा विधि में इस नियम को मान्यता प्रदान की गई है कि 'संविदा' से बाहर का व्यक्ति वाद स्थापित नहीं कर सकता है।

अपकृत्य विधि के अन्तर्गत नियत कर्तव्य जन वर्ग के प्रति होते हैं। किन्तु अपकृत्य के अन्तर्गत भी केवल वही व्यक्ति वाद संस्थित करने का अधिकारी है, जिसको कर्तव्य भंग के कारण क्षति उठानी पड़ी है। किसी. की मानहानि न करने का कर्तव्य केवल 'ख' अथवा 'ग' के ही प्रति नहीं है। जो भी व्यक्ति के द्वारा मानहानि से क्षतिग्रस्त होता है वह उसके प्रतिकूल मानहानि का वाद संस्थित करने का अधिकारी है। **डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन** का वाद यह प्रदर्शित करता है कि पेय पदार्थ का उत्पादक अपने हर संभाव्य उपभोक्ता के प्रति सावधानी रखने का कर्तव्य धारण करता है। इस वाद में वादी अपनी एक महिला मित्र के साथ एक जलपान गृह में गई और वहाँ उसने प्रतिवादी द्वारा उत्पादित जिंजर बीयर की एक बोतल खरीदी। महिला मित्र ने उस बोतल में से बीयर का कुछ ही अंश उपयोग किया और जब उसने शेष भाग को एक गिलास में उड़ेला, तो उसने उसमें एक घोंघे के सड़े हुये शरीर को पाया। जिंजर बियर की बोतल चूंकि, अपारदर्शक और मुहरबन्द थी, इसलिये उसमें घोंघे की विद्यमानता का पूर्व निरीक्षण नहीं किया जा सका था। महिला ने जिंजर बियर के निर्माणकर्ता के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

विरुद्ध उपेक्षा की कार्यवाही प्रारम्भ की और यह अभिकथन प्रस्तुत किया कि उस दूषित पेय के कारण वह गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी। हाउस आफ लार्ड ने यह निर्णय दिया कि उत्पादनकर्ता का इस महिला के प्रति सावधानी बरतने का यह कर्तव्य था, कि वह यह देखे कि उस बोतल में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक कोई पदार्थ मिलने न पाये। खाद्य पदार्थों के उत्पादनकर्ता के उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हुये लार्ड मैकमिलन ने यह कहा कि 'यह मेरा अभिमत है कि वह निर्माणकर्ता उन समस्त व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य धारण करता है, जिनके प्रति उसका यह आशय है कि वे उसकी निर्मित वस्तु का उपभोग करेंगे।

(3) संविदा भंग और अपकृत्य की कार्यवाही, दोनों में प्रतिकर (damages) भुगतान ही मुख्य उपचार है। संविदा भंग के किसी मामले में सामान्यतः प्रतिकर की राशि ' परिनिर्धारित' (liquidated) होती है, जबकि अपकृत्य की किसी कार्यवाही में वह सदैव 'अनिर्धारित' (unliquidated) होती है। संविदा के पक्ष संविदा करते समय संविदा भंग होने की स्थिति में देय प्रतिकर की धनराशि को निश्चित कर सकते हैं। किन्तु अपकृत्य में प्रतिकर में देय धनराशि का पूर्व निर्धारण सम्भव नहीं है। इसमें न्यायालय को अपने विवेक के अनुसार जैसा कि वह ठीक समझे, प्रतिकर के रूप में कोई भी धनराशि प्रदान करने की स्वतंत्रता रहती है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-2 क्षति की दूर स्थता को परिभाषित कीजिए' क्षति की दूरस्था को निश्चित करने के लिए नियम है वर्णन हैं।

अपकृत्य हो जाने के बाद प्रतिवादी के दायित्व का प्रश्न उठता है किसी दोषपूर्ण कार्य के अन्तहीन (endless) परिणाम हो सकते हैं, अथवा उसके परिणामों के भी परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिये एक साइकिल सवार असावधानी के साथ एक ऐसे पदयात्री को ठोकर मारता है, जो अपने जेब में एक बम लेकर जा रहा था। पदयात्री जैसे ही भूमि पर गिरता है, बम का विस्फोट हो जाता है पदयात्री और चार अन्य व्यक्ति, जो सड़क पर से जा रहे थे, इस विस्फोट के कारण मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। सड़क के समीप का एक भवन इस बम विस्फोट के परिणामस्वरूप आग में जलने लगता है, और उसमें कुछ महिलायें और बच्चे गम्भीर रूप से जल जाते हैं । यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या साइकिल सवार इन समस्त परिणामों के लिये उत्तरदायी हैं ?

वह केवल उन्हीं परिणामों के लिये उत्तरदायी हो सकते हैं, जो उसके आचरण से अधिक दूरस्थ नहीं हैं, कोई भी प्रतिवादी ऐसे अनन्त (ad infinitum) परिणामों के लिये उत्तरदायी नहीं हो सकता, जो उसके दोषपूर्ण कृत्य से उत्पन्न होते हैं। व्यावहारिक आधारों पर ऐसे मामलों में कहीं पर कोई रेखा अवश्य खींचनी होगी, जहाँ तक प्रतिवादी उत्तरदायी बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसी हानि भी हो सकती है, जिसके लिये प्रतिवादी उत्तरदायी न हो। कैसे और किस स्थान पर ऐसी रेखा खींची जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देते के लिये हमें यह देखना

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

होगा कि क्या हानि अथवा क्षति दोषपूर्ण कार्य का अत्यन्त दूरस्थ परिणाम है अथवा नहीं। यदि वह अत्यन्त दूरस्थ है, तो प्रतिवादी उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा, परन्तु यदि कार्य और परिणाम एक दूसरे से इस तरह सम्बन्धित हैं कि वे अत्यन्त दूरस्थ नहीं हैं, वरन् निकटस्थ हैं, तो प्रतिवादी उन परिणामों के लिये उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि जो घटना परिणामों के निकट है, विधि में भी निकटस्थ ही हो, और वह जो परिणामों से दूर है विधि में भी दूरस्थ मानी जाये। **स्काट** बनाम **शेफर्ड** के वाद में 'क' ने एक जलती हुई आतिशबाजी भीड़ में फेंकी जो 'ख' नामक व्यक्ति के पास गिरी। 'ख' ने अपने को बचाने के लिये उसे और आगे फेंक दिया जो, 'ग' नामक व्यक्ति के पास गिर पड़ी। 'ग' ने भी अपने को बचाने के लिये उसे और आगे फेंक दिया, जो घ' नामक व्यक्ति पर गिरी जिसके परिणामस्वरूप 'घ' एक आँख से अन्धा हो गया यहाँ 'क' को 'घ' की क्षति के लिये उत्तरदायी माना गया। उसका कार्य क्षति का निकटस्थ कारण माना गया यद्यपि 'ख' और 'ग' के हस्तक्षेप के कारण 'क' और 'घ' का सम्बन्ध दूर का था।

लिन्च बनाम **नुर्दिन** के बाद में प्रतिवादी ने अपना घोड़ा और गाड़ी सड़क पर छोड़ दिया। कुछ लड़के इसमें छेड़खानी करने लगे उनमें से एक कूदकर गाडी पर चढ़ गया और दूसरे ने घोड़े को भगा दिया। वादी, जो बालक था, और गाड़ी पर सवार थाक्षतिप्रस्त हो गया। यद्यपि उस बालक का कार्य, जिसने घोड़े को विवान बना दिया था, "हस्तक्षेप से उत्पन्न एक नया कृत्य' (Novus actus intervenicns) था फिर भी प्रतिवादों की लापरवाही से परिपूर्ण कार्य दुर्घटना का निकटस्थ कारण

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

माना गया। बालकों द्वारा ऐसी शरारत का किया जाना प्रत्याशित था और कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी शरारत कारित करने वाले बालकों को खतरनाक कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं, यह अभिवाक् प्रस्तुत कर दायित्व से अपना बचाव नहीं कर सकते कि दोषपूर्ण कार्य शरारती बालकों द्वारा किया गया था।

यह निर्धारण के लिये कि क्षति की दूरस्थता है अथवा नहीं, दो मुख्य मापदण्ड हैं

(1) युक्तियुक्तक पूर्वानुमान का मापदण्ड (The Test of Reasonable Foresight)

इस मापदण्ड के अनुसार यदि किसी दोषपूर्ण कार्य का परिणाम किसी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमानित हो सकता है तो वह अत्यन्त दूरस्थ नहीं माना जा सकता। लेकिन, यदि किसी युक्तियुक्तक व्यक्ति द्वारा ऐसे परिणामों का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था, तो उसे अत्यन्त दूरस्थ माना जायेगा। ऐसे परिणामों के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता, जो अत्यन्त दूरस्थ होते हैं। चीफ बैरन पोलक के अभिमतानुसार, जो उन्होंने रिगवी बनाम हेविट्ट तथा ग्रीनलैण्ड बनाम चैपलिन के वाद में अभिव्यक्त किया था, प्रतिवादी का उत्तरदायित्व केवल उन्हीं परिणामों के लिये हो सकता है, जिसका पूर्वानुमान एक युक्तियुक्तक व्यक्ति द्वारा दोषकर्ता की परिस्थितियों में रह कर किया गया होता। इस मापदण्ड के अनुसार, यदि मैं कोई उपकार करता है. तो मैं केवल उन्हीं परिणामों के लिये उत्तरदायी होऊँगा, जिनका मैं पूर्वानुमान कर सकता हूँ. क्योंकि जिन परिणामों का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था वह हमारे दोषपूर्ण कार्य का एक अत्यन्त दूरस्थ परिणाम है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(2) प्रत्यक्षता का मापदण्ड (The Test of Directness)

कोर्ट ऑफ अपील द्वारा री पोलमिस एण्ड फर्नेस, विथी एण्ड कम्पनी, लिमिटेड के वाद में युक्तियुक्त पूर्वानुमान का मापदण्ड अस्वीकृत कर दिया गया और प्रत्यक्षता का मापदण्ड अधिक उपयुक्त माना गया। प्रत्यक्षता के मापदण्ड के अनुसार कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य के समस्त प्रत्यक्ष परिणामों के लिये उत्तरदायी होता है, चाहे भले ही उसने उसका पूर्वानुमान किया था, अथवा नहीं, क्योंकि वे परिणाम जी प्रत्यक्षतः किसी दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न होते हैं, अत्यन्त दूरस्थ नहीं होते। ऐसे किसी बाद में विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि क्या प्रतिवादी का कार्य दोषपूर्ण है अथवा नहीं, अर्थात् क्या वह किसी क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है, अर्थात् यदि प्रतिवादी वादी के प्रति किसी क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था, तो वह न केवल उन परिणामों के लिये उत्तरदायी है, जिसका पूर्वानुमान किया जा सकता था, वरन् वह अपने दोषपूर्ण कार्य के समस्त प्रत्यक्ष परिणामों के लिये उत्तरदायी है।

स्मिथ बनाम **लन्दन एण्ड साउथ वेस्टर्न रेलवे** के वाद में प्रत्यक्षता का मापदण्ड अपनाया गया। इस वाद में ग्रीष्म ऋतु में रेल पथ के समीप झाड़ियों और घास-फूस के ढेर को रखने की अनुमति देने में रेल कम्पनी लापरवाह पाई गई। रेल के इंजन से निकली चिंगारियों ने इस ढेर में आग लगा दी। तेज हवा के कारण यह आग 200 गजदूरी पर स्थित वादी की कुटिया तक फैल गई, जिससे वह

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जलकर नष्ट हो गई यद्यपि प्रतिवादी ने कुटिया की क्षति का पूर्वानुमान नहीं किया था वह फिर भी उसके लिये उत्तरदायी माने गये।

हरिदेव नगोत्रा बनाम सैंडोज इण्डिया लि० 13 के वाद में एक रोगी जिसके गुर्दे का प्रत्यारोपण (Kidney Transplantation) हुआ था एक ऐसी दवाई देने के पश्चात् मृत्यु हो गई जिसकी समय अवधि समाप्त हो गई थी। तब पूरे मामले की जाँच के पश्चात् यह पाया गया कि दवाई की समय सीमा समाप्त होने पर ड्रग कंट्रोलर (Drug Controller) की अनुमति से दवाई की समय अवधि बढ़ाने का नया लेबल लगा दिया गया था।

यह भी पाया गया कि रोगी की मृत्यु उस दवाई देने के कारण नहीं थी। उसका असली कारण (Proximate cause) गुर्दे का फेल होना था। क्योंकि रोगी की मृत्यु का असली कारण उक्त दवाई का सेवन नहीं था, प्रतिवादी के विरुद्ध हर्जाने का दावा खारिज कर दिया गया।

युक्तियुक्तक दूरदर्शिता का सिद्धान्त जैसा कि वह **वेगन माउण्ड** के वाद में अभिव्यक्त किया गया है, **डाउटी** बनाम **टर्नर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड** के वाद में भी लागू किया गया। इस वाद में वादी प्रतिवादी द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी के कुछ अन्य कर्मचारियों ने गर्म और पिघली धातु से भरे हुये हण्डे में ऐसेस्टस सीमेंट में निर्मित एक ढक्कन खिसक जाने दिया। इसके परिणामस्वरूप एक भयंकर विस्फोट हो गया और हण्डे की गर्म और पिघली हुई धातु बहकर बाहर निकल आई, जिससे वादी को, जो उसके समीप खड़ा था, क्षति

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

कारित हुई ढक्कन एक ख्याति प्राप्त निर्माता से खरीदा गया था और कोई भी व्यक्ति यह पूर्व-कल्पना नहीं कर सकता था कि हण्डे में ढक्कन गिर जाने पर किसी ऐसे भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-3 प्रत्येक के उपयुक्त उदाहरण देते हैं । "डैमनम साइन इंजूरिया" तथा "इंजुरिया साइन डैमनम" सूत्रों की व्याख्या कीजिए!

(2) बिना क्षति के हानि (Damnum sine injuria)

बिना क्षति के हानि का तात्पर्य है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किन्तु उसको विधिक क्षति नहीं हुई अर्थात् प्रतिवादी के कार्य से वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का अतिलंधन नहीं हुआ है। जब वादी के किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन न हुआ हो तो वह कोई वाद नहीं ला सकता।

निम्नलिखित वाद इस सूत्र के कुछ उदाहरण हैं

(1) सीतारमैया बनाम महालक्षम्मा-इस वाद में चार प्रतिवादियों ने एक जल प्रवाह से आने वाली जलधारा को अपनी भूमि में न आने देने के लिये अपनी ही भूमि में एक खाई खोदकर बांध बना दिया। पाँचवें प्रतिवादी ने भी इसी प्रकार स्वतन्त्र रूप से अपनी भूमि पर एक बांध बनवाया, ताकि जल प्रवाह उसकी भूमि में भी न आ सके। पाँचों प्रतिवादियों ने इन कार्यों के परिणामस्वरूप वर्षा का जल, वादी की भूमि में प्रवाहित होने लगा जिसके परिणामस्वरूप उसे हानि भी कारित हुई। वादी ने न्यायालय से निवेदन किया कि आज्ञापक व्यादेश (mandatory injunction) जारी करके प्रतिवादियों द्वारा अपनी भूमि में बनाये गये बांधों को तोड़वा दिया जाये, तथा खाइयों को भरवा दिया जाये । उनसे स्थान व्यादेश की भी मांग की जिसमें उसने भविष्य में प्रतिवादियों द्वारा खाई और

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

बांध बनवाने से निवारित करने का निवेदन किया। उसकी भूमि में जल प्रवाह के कारण उसे जो हानि हुई थी, उसकी पूर्ति के निमित्त उसने 300 रुपये के क्षतिमूल्य की माँग की।

उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि किसी नदी के समीप भूस्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि पर बाँध बनवाकर नदी के जल प्रवाह को मोड़कर अपनी हानि का निवारण करे, चाहे भले ही उसके ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप नदी का प्रवाह मुड़कर पड़ोसी की भूमि पर चला जाये और उसको हानि कारित करे। यह चूंकि बिना क्षति के हानि (Damnum Sine Injuria) सूत्र के अन्तर्गत आने वाला एक स्पष्ट वाद था, अत: वादी को कारित हानि के लिये प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं ठहराये गये।

विधि इस बात की अनुमति प्रदान करती है कि व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का किसी सम्बोधित खतरे से रक्षण कर सकता है और इस निमित्त वह अपनी भूमि में आने वाले जल के प्रवाह का निवारण कर सकता है. चाहे भले ही उसके इस कार्य से पड़ोसी को हानि कारित होती हो। परन्तु यदि बाढ़ का पानी पहले से ही किसी की भूमि में प्रवेश कर गया है, तो विधि उसे यह अनुमति नहीं प्रदान करती कि वह उस जल को दूसरों की भूमि में निकाल दे।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) उषाबेन बनाम **भाग्यलक्ष्मी चित्र मन्दिर** -इस वाद में वादी-अपीलकर्ता ने प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता के प्रतिकूल स्थायी व्यादेश (permanent injunction) जारी करने के लिये वाद संस्थित किया कि उसे 'जय संतोषी माँ' नामक चलचित्र का प्रदर्शन करने से रोक दिया जाये। वादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस चलचित्र ने वादी की धार्मिक भावना को चोट पहुँचायी है, क्योंकि उसमें सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्यालु बताया गया है तथा उनका उपहास किया गया है। यह धारित किया गया कि किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुँचाना विधिक अपकार के रूप में मान्यकृत नहीं है। बात यह है कि किसी व्यक्ति को यह विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है कि अपनी धार्मिक भावना का प्रवर्तन वह किसी अन्य व्यक्ति पर करें या उस कोई विधिपूर्ण कार्य करने मात्र से इस आधार पर रोके कि उसका कार्य उसके धर्म विशेष की मान्यता के अनुसार नहीं है। वादी का, चूंकि कोई विधिक अधिकार अतिलंघित नहीं हुआ था, अत: व्यादेश जारी करने का उसका निवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(3) ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालता है। इस वाद में प्रतिवादी ने, जो एक अध्यापक था, वादी की प्रतिद्वन्दिता में एक नया विद्यालय स्थापित किया। प्रतियोगिता के कारण वादी को छात्रों के शुल्क में अत्यन्त कमी करनी पड़ी। जहाँ वह प्रति छात्र तिमाही शुल्क के रूप में 40 पेंस लेता था, वहीं इस नयी परिस्थिति के कारण उसे प्रति छात्र तिमाही शुल्क 12 पेंस ही निर्धारित करना पड़ा। यह धारित किया गया कि इस हानि के लिये वादी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

को कोई उपचार नहीं मिल सकता। न्यायाधीश हेन्कफोर्ड ने अभिमत व्यक्त किण कि हानि (Damnum) यदि किसी ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप होती है जो विशुद्ध प्रतियोगिता के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये किया गया है, तो वह अवैध नहीं है, चाहे भले ही ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को हानि उठानी पड़ी हो। ऐसे कार्यों को निरपेक्ष अपकृति (abseque injuria) की संज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण के लिये, मेरे पास एक मिल है, और मेरा पड़ोसी भी एक नये मिल की स्थापना करता है, जिसके परिणामस्वरूप मेरे मिल का लाभ कम हो जाता है। मैं इंस हानि के होते हुये भी अपने पड़ोसी के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, परन्तु यदि वह मिल वाला मेरे मिल में आने अथवा जाने वाले पानी को व्यवधानित करता है, या इसी प्रकार का कोई अपदूषण करता है, तो मैं विधि द्वारा प्राधिकृत कार्यवाही करने का अधिकारी हूँ।

(**6) मेयर ऑफ बैडफोर्ड कारपोरेशन** बनाम **पिकेल्स** के वाद में हाउस ऑफ लाईस ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चाहे भले ही वादी को विद्वेषपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप हानि हुई हो, वह तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक कि वह साबित नहीं कर देता, कि उसे विधिक क्षति (Injuria) हुई है।

इस वाद में प्रतिवादी की भूमि से, जिसका तल ऊँचा था, वादी जल ग्रहण करता था। प्रतिवादी ने अपनी भूमि में एक कूपक (Shaft) खुदवाया जिसके परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्राप्त किये जा रहे जल की मात्रा कम हो गई तथा वह जल बदरंग हो गया। वादी ने व्यादेश जारी करने का दावा प्रस्तुत किया और

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

यह निवेदन किया कि प्रतिवादी को कूपक का निर्माण करने से रोक दिया जाये, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य वादी को इसलिये क्षति पहुँचाना था, क्योंकि उसने प्रतिवादी की भूमि को अत्यन्त बढ़े हुये दाम पर नहीं खरीदा था। हाउस ऑफ लार्ड्स ने यह धारित किया कि चूंकि प्रतिवादी अपने विधिपूर्ण अधिकार का प्रयोग कर रहा था। अत: वह उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, चाहे भले ही उसका वह कार्य जिससे वादी को क्षति पहुँची थी, विद्वेषपूर्ण रहा हो। लार्ड ऐशबॉर्न (Lord Ashbourne) ने अभिमत व्यक्त किया कि, वादी के पास वाद का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि वह विवाद में उठाये गये जल प्रवाह का अधिकारी था, और यह उसे कि प्रतिवादी को वह करने का अधिकार नहीं था जिसको उसने किया था इस हाउस (अर्थात् हाउस ऑफ लार्ड्स) द्वारा चेसमोर बनाम रिचर्ड्स के वाद में जो विधि अभिव्यक्त की गई है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मिस्टर पिकिल्स ने सरासर अपने विधिक अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य किया था, क्या उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिये या यह कि उसे उसके अधिकारों के विधिपूर्ण प्रयोग के निमित्त दण्डित किया जाना चाहिये, मात्र इसलिये कि कुछ प्रेरणायें उसमें अभ्यारोपित हो गई हैं? यदि उसका कार्य अवैध होता किन्तु उसके प्रयोजन (Motive) इस संसार में अत्यन्त उदार अथवा लोकानुरागी होते, तो वह उनका उपयोग अपने बचाव के लिये न कर पाता। यदि उसका प्रयोजन स्वार्थ से परिपूर्ण और लाभ परायण हैं, किन्तु उसका कार्य वैध है, तो मात्र इसीलिये सके अधिकारों का समपहरण नहीं किया जा सकता।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

इस प्रकार कोई वैध कार्य, चाहे भले ही वह विद्वेष से उत्प्रेरित हो, प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं बना सकता। वादी तभी प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, जब वह यह साबित कर दे कि उसको प्रतिवादी के अवैध कार्य के लिये ही, किसी अन्य कारण से नहीं, हानि कारित हुई है।

पागदाला नरसिंहन बनाम **कमिश्नर तथा स्पेशल ऑफिसर, नैल्लोर म्यूनिसिपलिटी** का निर्णय भी इसी प्रकार का है। इस वाद में वादी ने अपनी खराब बस को सड़क पर गलत ढंग से पार्क किया जिससे यातायात में रुकावट पड़ गयी। यातायात पुलिस नगर निगम के अधिकारियों की सहायता से उस बस को वहाँ से ले गई। पुलिस अधिकारियों के इस कार्य को वैध ठहराया गया, क्योंकि वह कार्य सम्प्रभु शक्ति के प्रयोग से किया गया था। अत: उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.